THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Sir, Seven such cases were considered.

(b) Six cases were approved and the approval was communicated on the 4th February, 1993.

(c) One case was not approved.

(d) Yes.

(e) The suggestion was based on the provisions made in the Career Advancement Scheme for ARS scientists as circulated on 28-10-1991.

Counting of S-Grade Service for Promotion of Scientists in ICAR

1320. *SHRI S. AUSTIN* : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether benefits of length of service in "S" Grade in pay scale of Rs. 425-700 and Rs. 550-900 as stipulated in ICAR circulars dated 14-5-1992 and 16-11-1992 have been given to S-2 and S-3 scientists only for the purpose of their placement in UGC pay-scales;

(b) whether the benefits of some service as at (a) above have been actually extended to erstwhile S-1 scientists for computing their requisite length of service under ICAR Career Advancement Scheme;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether non-extension of benefits of said service to S-1 scientists is in violation of CAT Judgement in case No. 511/90 and ICAR letter dated 5th February, 1992 issued in compliance of CAT order; and

(e) if so, whether Government would fix responsibility for acting against the Court Judgement ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes Sir. These circulars relate only to S-2 and S-3 Scientists.

(b) No, Sir.

(c) The circulars issued on 14-5-92 and 16-11-92 do not cover the ICAR Career Advancement Scheme meant for earstwhile S-1 scientists.

(d) No Sir, The Judgement of the CAT in case No. 511/90 relates to the relevance of the service rendered in 'S' Grade of ARS or equivalent grade for computing the total length of service for the purposes of placement/ promotion in the UGC pay package adopted by the ICAR *vide* notification dated 9-3-89.

(e) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में ओलों से नष्ट हुई फसल

1321. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो जिले ओलों से प्रभावित हुए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में कुल कितने प्रतिशत फसल नष्ट हुई है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ओलों से प्रभावित किसानों को अनुदान देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो यह कब संभव होगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) प्राथमिक आकलन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि फरवरी और मार्च, 1993 में हुई ओलावृष्टि के कारण 18 जिलों में फसलें 5 से 100 प्रतिशत तक प्रभावित हुई हैं। क्षतिग्रस्त फसलों की अनुमानित लागत के बारे में राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार उन किसानों को, जिनकी फसलें ओलावृष्टि के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई हैं, 300 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

गुजरात में चीनी मिलों को उपलब्ध कराई गई सहायता

1322. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में चीनी मिलों को चीनी विकास निधि में से कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) आगामी वर्ष के दौरान इस निधि के माध्यम से गुजरात में किन-किन चीनी मिलों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। चीनी प्रतिष्ठानों को चीनी विकास निधि से संयंत्रों और मशीनों का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने तथा गन्ने का विकास करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(ख) पहली अप्रैल, 1993 को स्थिति के अनुसार आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन अथवा गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात में स्थित किसी चीनी प्रतिष्ठान से प्राप्त कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

गेहूं का खरीद मूल्य और लागत मूल्य

1323. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों से 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाती है जबकि इस पर कुल लागत 542 रुपये प्रति क्विंटल आती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी लागतों को कम करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम, 1993-94 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 330 रु० प्रति क्विंटल के वसूली मूल्य पर किसानों से गेहूं की वसूली की जा रही है। इस मूल्य में 305 रु० प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और पहली अप्रैल से 30 जून, 1993 तक की अवधि के दौरान गेहूं की बिक्री करने के लिए देय 25 रु० प्रति क्विंटल का केन्द्रीय प्रोत्साहन बोनस शामिल है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया गया है और यह मूल्य खेती की लागत और साथ ही साथ किसानों के लिए उपयुक्त लाभ को कवर करता है।

वसूली व्यय और वितरण लागत को जोड़ने के बाद, वर्ष 1993-94 (बजट अनुमान) के लिए गेहूं की इकनामिक लागत 5427.4 रु० प्रति क्विंटल आने का अनुमान है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—